

प्रेषक,
निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,
✓ प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
स्वा. जंग बहादुर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र,
धरौली जिला-धन्दौली।

पत्रांक: 865 /टी-3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति
विषय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

लखनऊ : दिनांक : 5/2/11
जनवरी, 2011

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30/6/2010 पर दिनांक 30/11/2010 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित-उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्घरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्र. सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी सम्बन्धन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डी0जी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Filter 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-30/6/2010 SIR-26/8/2010 w.e.f. Feb.2011 *This clears case kept pending in meeting held on 26.08.2010.
2-	Electrician 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	

DGBT-6724/163/2010-FC DATED 30/11/2010

- प्रयोग किये गये संकेत:-
- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
 - (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
 - (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
 - (4) यू0सी0-विचाराधीन
 - (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
 - (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयांतरगत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के याचित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

महारीय,

(राहुल देव)
अवर निदेशक (प्रशि/शिक्षु)
उत्तर प्रदेश निदेशक।

पत्रांक : /टी-3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति/ तददिनांकित

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
2. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्षु) वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
3. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
4. गार्ड फाइल हेतु।

उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(राहुल देव)